**Success Story of Rajasthan Victim Compensation Scheme 2011**

**Jaipur Metro 10.01.2017**

मीडिया से इस बात का पता चलने पर कि जयपुर महानगर में एक व्यक्ति पर एसिड अटैक किया गया है, माननीय न्यायाधिपति, श्रीमान् के. एस. झवेरी, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा तुरंत कार्यवाही करते हुए सदस्य सचिव श्री एस. के. जैन को निर्देशित किया कि वे इस प्रकरण पर त्वरित कार्य करें।

निर्देशानुसार राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जयपुर महानगर को निर्देशित किया कि वे पीडित प्रतिकर स्कीम, 2011 के तहत पीडित को प्रतिकर दिलाए जाने हेतु अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करें तथा साथ ही पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर को निर्देशित किया कि वे पीडित से मिलकर उसकी कुशलक्षेम पूछें।

निर्देशों की अनुपालना में तत्कालीन पूर्णकालिक सचिव श्री अजय कुमार द्वारा एस.एम.एस. अस्पताल के नेत्र वार्ड में जाकर पीडित से हाल जाना गया, जिससे जाहिर आया कि पीडित सलीम अपना जीवनयापन एक चाय की थड़ी चलाकर करता था तथा जाहिर किया गया कि इस घटना से उसकी आँखों की रोशन चली जाने की वजह से अब जीवनयापन करना मुश्किल हो गया है।

चूंकि प्रार्थी गैर इलाज था तथा उसकी वित्तीय स्थिति भी अत्यधिक खराब थी। उक्त प्रकरण की गंभीरता, उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए श्री अनिल कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर के द्वारा प्रार्थी को चिकित्सा व्यय के रूप में अंतरिम प्रतिकर राशि 25,000 रूपए पीडित प्रतिकर स्कीम, 2011 के तहत प्रदान किए जाने के आदेश प्रदान किए गए तथा फाईल को सर्कुलेशन विधि के माध्यम से प्राधिकरण के सदस्यो की अनुमति/सहमति प्राप्त करने बाबत् सदस्यगण के पास भेजा गया। अनुमोदन के पश्चात पीडित को प्रतिकर राशि का भुगतान बचत बैंक खाते में ऑनलाईन कर दिया गया।

**********